UPJB010060592022

Presented on : 11-10-2022
Registered on : 11-10-2022
Decided on : 11-10-2022
Duration : 0 years, 0 months, 0 days

IN THE COURT OF
Additional District and Sessions Judge / Special Judge (POCSO Act) - 1
AT ,Jyotiba Phule Nagar (Amroha)
(Presided Over by SUSHRI KAPILA RAGHAV)
Bail Application/2253/2022

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) प्रथम, अमरोहा

जमानत प्रार्थनापत्र सं0— 2253/2022

जय सिंह पुत्र हरवंश निवासी ग्राम रामनगर थाना डिडौली जिला अमरोहा।

प्रार्थी/अभियुक्त प्रति उ0प्र0राज्य

11.10.2022

————————:—प्रार्थी/अभियुक्त जय सिंह के जमानत प्रा0पत्र पर सुना।

मु0अ0सं0— 324/2022 विशेष सत्र परीक्षण सं0 832/ 2022 धारा 506 भा0दं0सं0 थाना डिडौली जिला अमरोहा के मामले में न्यायिक अभिरक्षा निरूद्व अभियुक्त जय सिंह की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

अभियोजन कथानक के अनुसार वादनी मुकदमा कुमारी पीड़िता ने तहरीर दी जिसमें कहा कि उसकी जन्म तिथि 06.03.2007 है। इन्द्रजीत की रिश्तेदारी है। इसी कारण वह उसके घर आने जाने लगा। दिनांक 03.08.2022 को उसकी मम्मी की तबियत खराब होने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया इसी बीच रात के 11.00 बजे इन्द्रजीत उसके घर आया और जबरदस्ती डरा धमकाकर बलात्संग किया तथा बताने पर जान से मारने की धमकी देकर चला गया। उसके पापा ने इन्द्रजीत के घर शिकायत की तो जय सिंह ने जान से मारने की धमकी दी।

प्रार्थी/ अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियुक्त निर्दोष है उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। उन्होंने किसी प्रकार का अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थी सह अभियुक्त इन्द्रजीत के पिता हैं। उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा। जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गई।

विद्वान लोक अभियोजक द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त के विरूद्व यह आरोप है कि उसने वादी पक्ष को जान से मारने की धमकी देकर भयक्रांत किया। मामले में आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है।

Digitally signed by KAPILA RAGHAV
Date: 2022.10.11 16:03:58 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

न्यायालय की राय में प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए बिना गुणदोष के आधार पर अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है। अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त जयसिंह का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मुव0 20,000/–रूपये(बीस हजार रूपये) के व्यक्तिगत बन्धपत्र एंव इसी धनराशि के दो स्वीय प्रतिभू दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाए।

दिनांक 11.10.2022 (डॉ0 कपिला राघव)

अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(पोक्सो एक्ट) प्रथम,अमरोहा।